

अनुलग्नक I

उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी से उचित प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र हासिल कर सत्यापन के समय मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कर पाने पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसका (भारत सरकार के कार्मिक, जन शिकायतें, पेंशन और कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित) विवरणिका के अध्याय 13 के अनुरूप होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए ऐसे अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र पेश करते हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी नहीं माना गया है।

अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप:-

1. अजा/अजजा से सम्बंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है की श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री (पिता का नाम) _____ जो _____ गाँव शहर _____ जिला/मंडल _____ राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के रहनेवाले है, _____ जाति/जनजाति से सम्बंधित है, जो निम्नानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचानी जाती है। * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 *संविधान (अनुसूचित जन जाति आदेश, 1950 *संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्रशासित प्रदेश) आदेश, 1951 *संविधान (अनुसूचित जन जाति) (केन्द्रशासित प्रदेश) आदेश, 1951, (अजा एवं अजजा सूची संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम-1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम-1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम-1971, एवं शेल्डयूल्ड ट्राईब्स आदेश (अमेंडमेंट) 1976, संविधान (जम्मू एवं काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (जम्मू एवं काश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1956. *संविधान (अंदमान एवं निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 *संविधान (दादरा एवं नगरहवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962 *संविधान (दादरा एवं नगरहवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 *संविधान (पाण्डेचरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 *संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967 *संविधान (गोवा-दीव-दमण) अनुसूचित जाति आदेश जाति आदेश 1968 *संविधान (गोवा-दीव-दमण) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 *संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970 *संविधान (सिक्कीम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 *संविधान (सिक्कीम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978 द्वारा यथा संशोधित।

2. एक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश से पारगमन करनेवाले अजा/अजजा व्यक्तियों के मामले में आवेदन:- यह प्रमाणपत्र उन अजा/अजजा प्रमाणपत्रों के आधार पर जारी किया जाता है जो श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पिता / माता का नाम _____ निवासी जिला/मंडल _____ राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के रहनेवाले है, _____ जो _____ जाति/जनजाति से सम्बंधित है, जो _____ राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में पहचानी जाती है और जो _____ (निर्धारित अधिकारी का नाम) द्वारा क्र. _____ दिनांक _____ के जरिये जारी किया गया है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और उसका उनका परिवार सामान्य तौर पर _____ गाँव/शहर _____ जिला/मंडल _____ राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के _____ के स्थान के निवासी है। हस्ताक्षर _____ दिनांक _____ पदनाम (कार्यालय की मुहर सहित) कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें। कृपया स्पष्ट रूप से 'प्रेसिडेंशियल ऑफर' का उल्लेख करें। जो अनुच्छेद लागू न हों उसे काट दें।

टिप्पणी:- आम तौर पर निवासी के लिये प्रयुक्त शब्दसमूह 'आर्डिनिरिली रिसाइड्स' का आशय वही होगा जो 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट-1950' की धारा 30 में दिया गया है।